प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, झालावाड़ थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :– 2022
प्र0सू0रि0 सं ....274/22........ दिनांक..........7/7/2022..........
2. (1) अधिनियम पी.सी.(संशोधन) एक्ट 2018..............धाराऐं 7 पी.सी.(संशोधन) एक्ट 2018

(2) अधिनियम..धाराऐं ....

(3) अधिनियम..धाराऐं..

(4) अन्य अधिनियम एवं .... धाराऐं ....

3. (क) घटना का दिन :– बुधवार दिनांक :– 06.07.2022
(ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– 06.06.2022 समय :– 10.30 ए.एम.
(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या ....132 समय..................6:20 P.M.
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) लिखित प्रार्थना पत्र
5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
(क) थाने से दिशा एवं दूरी –चौकी ए.सी.बी. झालावाड़ से करीब 70 कि0मी0 बजानिब दक्षिण–पश्चिम दिशा
बीट संख्या..जुरामदेही सं..
(ख) पता:– तहसील कार्यालय पिड़ावा में स्थित भू–अभिलेख शाखा का कमरा नं0 12
(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम..............जिला ....
6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
(क) नाम :– श्री चेन सिंह
(ख) पिता/पति का नाम :– श्री राघुसिंह जाति सोंधिया राजपूत
(ग) जन्म तिथि/उम्र :– 36 साल
(घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
(ड़) पासपोर्ट संख्या........................जारी करने की तिथि..............................जारी करने का स्थान
(च) व्यवसाय –
(छ) पता :– रमाय महू तहसील व थाना पिड़ावा जिला झालावाड़।
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–

सुश्री संगीता कुमारी पुत्री श्री अमोलकचन्द जाति जैन उम्र 54 वर्ष निवासी (चोधरियान) शेर मोहल्ला, सेंन्ट्रल स्कूल के पास पिड़ावा तहसील/थाना पिड़ावा जिला झालावाड़ हाल भू–अभिलेख निरीक्षक (रिजर्व) तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज0)

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्य: – 10,000 रूपये ....
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो)..
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

महोदय,

के करीब ही जमीन है तथा बाकी जमीन पर उस गांव के श्री नारायण सिंह व श्री हड़मत सिंह सोधिंया राजपूतों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। आज से 10–15 दिन पूर्व मैं तहसील पिड़ावा में जाकर संगीता कुमारी जैन कानूनगो से मेरी पत्नि के नाम से खरीदी गयी जमीन की पेमाईश कराने के सम्बंध में मिला तो उन्होने कहां कि जमीन की पेमाईश करवा देगें। तुम्हें खर्चा पानी के 15,000रूपये देने पड़ेगें। उसके बाद संगीता कुमारी जैन कानूनगो ने ग्राम हनोतिया कोटड़ी (ग्राम पंचायत रमाय दलपत) में मेरी पत्नि श्रीमती धर्म कुवंर के नाम से खरीदी गयी खसरा नम्बर 554 की 8.50 बीघा जमीन की पटवारी श्री अखिल व श्री राकेश को लेकर स्वय मौके पर जाकर पेमाईश की थी तथा पेमाईश के दिन ही मुझसे पेमाईश करने से पहले तहसील में ही 5,000रूपये खर्चा पानी के श्री भेरूसिंह के मार्फत ले लिये थे। जो मैंने उसी दिन मजबूरी में श्री भेरूसिंह को संगीता कुमारी जैन कानूनगो को देने के लिए दे दिये थे। परन्तु पेमाईश करवाने के बाद संगीता कुमारी जैन कानूनगो शेष रिश्वत राशि 10,000रूपये देने के लिए मुझे परेशान कर रही है तथा कह रही है कि मुझे पेमाईश करने वाले पटवारी को भी खर्चे पानी के रूपये देने पड़ेगें। मैं मेरे जायज काम के लिए संगीता कुमारी जैन कानूनगो तहसील पिड़ावा को शेष रिश्वत राशि के 10,000रूपये नहीं देना चाहता हूं तथा उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरी संगीता कुमारी जैन कानूनगो से कोई पुरानी रंजिश अथवा उधारी का कोई लेनदेन बकाया नहीं है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 7 की परिधि में पाये जाने पर उसी दिन दिनांक 06.06.2022 को समय 11.20 एएम पर श्री मोहम्मद आफाक हैड कॉनि0 नं0 97 से मालखाना में रखे हुए ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को निकलवाकर मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा चेक किया जाकर परिवादी श्री चेनसिंह को चालू बन्द करने की विधिवत् प्रक्रिया ऑपरेटिंग करना भलीभांति समझाकर सुपुर्द कर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु ब्यूरो कार्यालय के कॉनि0 श्री देवदान सिंह नं0 425 को निगरानी रखने हेतु परिवादी श्री चेनसिंह के साथ दोनों को आवश्यक हिदायत देकर अपनी–अपनी मोटरसाइकिलों से बजानिब रवाना तहसील पिड़ावा के लिये किया गया। फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की गयी। दिनांक 06.06.2022 समय 03.00 पीएम पर निगरानी रखने हेतु भेजे गये श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हुआ तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पेश करते हुए मेरे द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि आपके निर्देशानुसार परिवादी श्री चेनसिंह के साथ–साथ दोनों अपनी–अपनी मोटरसाइकिलों से रवाना होकर तहसील पिड़ावा के बाहर पहुंचे। जहां से परिवादी श्री चेनसिंह को आरोपिता से रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप के दौरान डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू करने के बारे में पुनः समझाईश कर आरोपिता संगीता कुमारी जैन कानूनगो से तहसील पिड़ावा के अन्दर जाकर उसके कमरे में वार्तालाप करने के लिए रवाना कर दिया था तथा मैं तहसील पिड़ावा के बाहर ही साईड में एकान्त स्थान पर अपनी मोटर साईकिल खड़ा कर परिवादी के लौटने का इंतजार करने लगा। लगभग 15–20 मिनट उपरान्त परिवादी श्री चेनसिंह मेरे पास आया तथा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द करते हुए उसने बताया कि मैंने रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप के दौरान हुई वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर रिकॉर्ड कर लिया है। उसके पश्चात् कानूनगो कक्ष से बाहर आकर मैंने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को बन्द कर लिया था। मैंने आरोपिता संगीता कुमारी जैन कानूनगो से उसके कानूनगो कक्ष में जाकर रिश्वत राशि के 10,000रूपये 2–3 दिन बाद देने की कहने पर वह राजी हो गयी है तथा उसने कहा कि 10,000रूपये लेकर दो दिन बाद आ जाना। मेरे द्वारा श्री भेरूसिंह जी के मार्फत जमीन की पेमाईश के दिन आरोपिता को दिये गये 5,000रूपये का भी जिक्र किया था। जिस पर आरोपिता ने कहा कि 5,000रूपये जो दिलवाये है उनकी बात तो छोड़ दे। श्री भेरूसिंह जी के कहने से तुम्हारी जमीन की पेमाईश का काम कर दिया है। परिवादी श्री चेनसिंह ने मुझे बताया कि दो दिन बाद रिश्वत राशि के 10,000रूपये लेकर आरोपिता कानूनगो ने मुझे बुलाया है। अतः मैं आज आपके साथ झालावाड़ नहीं चल रहा हूं। मुझे रिश्वत राशि की व्यवस्था भी करनी है तथा रिश्वत राशि की व्यवस्था होने पर मैं आरोपिता संगीता कुमारी जैन कानूनगो से सम्पर्क कर ट्रेप कार्यवाही हेतु मय रिश्वत राशि के आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाऊंगा। इस पर मैंने परिवादी श्री चेनसिंह को अब तक की कार्यवाही के सम्बंध में गोपनियता बरतने की हिदायत देकर पिड़ावा से ही उसे अपने गांव के लिए रूखसत कर दिया था। श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किये गये रिकॉर्डेड वार्ता सम्बंधी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि0 नं0 97 को सुरक्षित मालखाना में रखने हेतु सुपुर्द किया गया। आइन्दा परिवादी श्री चेनसिंह आगे

उपस्थित होने के लिए पाबन्द किया गया। दिनांक 09.06.2022 समय 05:00 पीएम पर परिवादी श्री चेनसिंह ने जरिये मोबाईल अवगत कराया है कि आरोपिता ने उसको दिनांक 10.06.2022 को दोपहर पूर्व रिश्वत राशि लेकर तहसील पिड़ावा में बुलाया है। अतः समाज कल्याण अधिकारी, झालावाड़ के नाम पत्रांक 846 दिनांक 09.06.2022 मुर्तिब कर श्री सूरजमल कानि0 नं0 521 को देकर दिनांक 10.06.2022 को प्रातः 09.00 बजे गोपनीय कार्यवाही हेतु दो सरकारी गवाह भिजवाने के लिए पाबन्द कर उनके नाम व पद अवगत कराने के लिए कार्यालय सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मिनि सचिवालय झालावाड़ के लिए तथा आरोपिता महिला होने के कारण थानाधिकारी थाना सदर झालावाड़ के नाम पृथक से कार्यालय पत्रांक 847 दिनांक 09.06.2022 मुर्तिब कर मिनि सचिवालय से सरकारी गवाहान को पाबन्द कराने के उपरान्त थाना सदर झालावाड़ जाकर महिला कानि0 को भी पाबन्द करने हेतु रवाना किया गया। दिनांक 09.06.2022 समय 06:20 पीएम पर श्री सूरजमल कानि0 नं0 521 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया तथा गोपनीय कार्यवाही हेतु कार्यालय सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मिनि सचिवालय झालावाड़ के श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री केसरी सिंह जाति राजपूत उम्र 38 वर्ष निवासी 22 आनन्द बिहार कॉलोनी सीकर रोड़ विद्याधर नगर, जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक मोबाईल नम्बर 7615947451 एवं श्री मनोज रावल पुत्र श्री गोकुल प्रसाद रावल जाति रावल उम्र 26 वर्ष निवासी मनोहरथाना जिला झालावाड़ हाल कनिष्ठ सहायक मोबाईल नम्बर 7742669318 कार्यालय सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मिनि सचिवालय झालावाड़ को पाबन्द कर ब्यूरो कार्यालय पाबन्द शुदा गवाहान का पत्रांक 4438 दिनांक 09.06.2022 तथा थाना सदर झालावाड़ से श्रीमती अंकिता पत्नि श्री रवि कुमार जाति महाजन उम्र 30 वर्ष निवासी ए.आर. नगर झालावाड़ हाल महिला कानि0 नं0 164 थाना सदर झालावाड़ मोबाईल नम्बर 6350685165 को पाबन्द कराकर पाबन्द शुदा महिला कानि0 का पत्रांक 1921 दिनांक 09.06.2022 मंन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किये। पत्रांको. को शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 10.06.2022 समय 09.00 एएम पर तलविदा दो स्वतंत्र गवाहान श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री केसरी सिंह जाति राजपूत उम्र 38 वर्ष निवासी 22 आनन्द बिहार कॉलोनी सीकर रोड़ विद्याधर नगर, जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक मोबाईल नम्बर 7615947451 एवं श्री मनोज रावल पुत्र श्री गोकुल प्रसाद रावल जाति रावल उम्र 26 वर्ष निवासी मनोहरथाना जिला झालावाड़ हाल कनिष्ठ सहायक मोबाईल नम्बर 7742669318 कार्यालय सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मिनि सचिवालय झालावाड़ ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। जिनसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिचय प्राप्त कर की जाने वाली कार्यवाही से अवगत करवाया गया। दिनांक 10.06.2022 समय 09:10 एएम पर पाबन्दशुदा परिवादी श्री चेनसिंह पुत्र श्री राघुसिंह जाति सोधिंया राजपूत उम्र 36 वर्ष निवासी रमाय महू तहसील व थाना पिड़ावा जिला झालावाड़ ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व अवगत कराया कि वह अपने साथ रिश्वत मे दी जाने वाली रिश्वत राशि 10,000 रूपये लेकर आया है। परिवादी ने यह भी अवगत कराया कि आरोपिता संगीता कुमारी जैन कानूनगो से पूर्व में हुई वार्ता अनुसार आज मोबाईल पर वार्ता कर रिश्वत राशि लेकर बुलाया है तथा आरोपिता आज उसके कार्यालय में ही मौजूद रहेगी। परिवादी का ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री रघुवीर सिंह कनिष्ठ सहायक एवं श्री मनोज रावल कनिष्ठ सहायक का परिवादी से परस्पर परिचय कराया गया। परिवादी श्री चेनसिंह का दिनांक 06.06.2022 को ब्यूरो कार्यालय में पेश किया गया प्रार्थना पत्र रिश्वत देते रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् पढ़कर सुनाया गया। इस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढ़कर व परिवादी से पूछताछ कर परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये तथा ट्रेप कार्यवाही में सहयोग हेतु सहमति प्राप्त की गई। दिनांक 10.06.2022 समय 09.15 एएम पर पाबन्द शुदा श्रीमती अंकिता महिला कानि. नं. 164 पुलिस थाना सदर झालावाड़ ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आयी। जिससे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिचय प्राप्त कर की जाने वाली कार्यवाही से अवगत् करवाया गया। दिनांक 10.06.2022 समय 09:20 एएम पर परिवादी श्री चेनसिंह व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री रघुवीर सिंह व श्री मनोज रावल की मौजूदगी में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश देकर श्री गोपाल लाल हैड कानि. नं. 26 से मालखाना में रखे हुऐ डिजिल वाईस रिकॉर्डर को निकलवाया जाकर सुना गया तो दिनांक 06.06.2022 को परिवादी श्री चेनसिंह व आरोपिता संगीता कुमारी जैन कानूनगो के मध्य हुई सत्यापन वार्ता में परिवादी की जमीन की पेमाईश कराने की एवज में आरोपिता संगीता कुमारी जैन कानूनगो द्वारा 10,000रूपये रिश्वत की मांग करना सत्यापन वार्ता में पुष्टि होना पाया गया है। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुनकर दिनांक 06.06.2022 को हुई वार्ता को श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस

शिवराज कानि. नं. 166 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर मंगवाई तथा उक्त कानि. को रिश्वत में दिये जाने वाले नोट सुपुर्द कर उसके द्वारा 10,000/–रूपये रिश्वत राशि के नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे तथा गवाहान श्री रघुवीर सिंह से परिवादी श्री चेन सिंह की जामा तलाशी लिवायी जाकर उसके पास पहने हुये कपड़े व मोबाईल के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया। श्री शिवराज कानि0 नं0 166 के हाथ से सीधे ही फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त उक्त रिश्वत राशि के नोटो को परिवादी श्री चेन सिंह की पहनी हुई पेंट की साईड की दाहिनी जेब में रखवायी गयी। परिवादी को हिदायत दी गई की वह रिश्वती राशि को रास्ते मे अनावश्यक हाथ नहीं लगाये तथा आरोपिता द्वारा मांगने पर ही निकालकर रिश्वती राशि उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व में आरोपिता से हाथ नहीं मिलायें यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से ही दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गयी कि आरोपिता द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखती अथवा छुपाती हैं का भी ध्यान रखें तथा आरोपिता के रिश्वती राशि प्राप्त करने पर अपने स्वय के सिर पर दोनों हाथ फेर कर या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस काल करें ताकि मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं ट्रेप पार्टी को रिश्वती राशि के लेन–देन होने का पता चल जाये। स्वतन्त्र गवाहन व ट्रैप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वती लेन–देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री शिवराज कानि0 से ही मालखाना में रखवाया गया। एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। कांच के उक्त रंगहीन घोल में नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री शिवराज कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियो को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह गवाहान् एवं परिवादी को दृष्टांत देकर समझाईश की गई कि जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के हाथ लगायेगा या छुयेगा तो उसके हाथों की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाने पर दोनों पाउडरों के परस्पर मिश्रण से घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि प्राप्त की है। इसके पश्चात् श्री शिवराज कानि. के द्वारा ही दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गिलास में मौजुद गुलाबी घोल को बाथरूम के वॉश बेसिन में डलवाकर नष्ट करवाया गया। गिलास को साफ करवाकर कार्यालय में ही छोड़ा गया। फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। दो गिलास, ट्रेप सामग्री किट, चम्मच, खाली पव्वों इत्यादी को भी साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। श्री शिवराज कानि0 एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। इसके पश्चात् परिवादी को छोड़कर समस्त पार्टी के सदस्यगणों ने अपनी–अपनी आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा ट्रेप दल में ब्यूरो स्टाफ के पास स्वय के विभागीय परिचय पत्र रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् पुनः परिवादी सहित समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। रिश्वती लेन देने के समय लेन–देन वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु एक डिजिटल टेप रिकॉर्डर के रख रखाव व संचालन की विधि समझाकर परिवादी श्री चेन सिंह को सुपुर्द किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द हाजा मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़कर सुनाई गई, सुन समझ सही मान समस्त ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये। दिनांक 10.06. 2022 समय 10:50 एएम पर ट्रेप कार्यवाही से पूर्व की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण होने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री रघुवीर सिंह व श्री मनोज रावल तथा ब्यूरो स्टाफ के श्री गोपाल लाल हैड कानि. नं. 26, श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि. नं. 97, श्री सूरजमल कानि. 521, श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425, श्री पवन कुमार कानि. 28, श्रीमती अंकिता महिला कानि0 नं0 164 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर तथा सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री छोटूलाल नं. 534 के व प्राईवेट वाहन से बजानिब पिड़ावा की ओर ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। आगे आगे परिवादी श्री चेन सिंह को उसकी स्वय की मोटरसाईकिल से रवाना किया तथा श्री शिवराज कानि. नं. 166 को ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में छोड़ा गया। दिनांक 10.06.2022 समय 07:00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी, स्वतंत्र गवाहान तथा श्रीमती अंकिता महिला कानि0 के अपने साथ ले गये सरकारी व प्राईवेट वाहनों से ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया। हालात इस प्रकार है कि ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ से ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना होकर तहसील पिड़ावा से कुछ दूरी पहले

चेन सिंह अपनी मोटर साईकिल से श्री देवदान सिंह कानि0 को बैठाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आया तथा बताया कि मैं आरोपिता संगीता कुमारी जैन के पास पेमाईश स्थल चला गया था। जहां पर उसने मुझे इन्तजार करने के लिए कहा। काफी देर तक इन्तजार करने के बाद वह अपनी पेमाईश करने वाली टीम को लेकर मुझे यह कहते हुए चली गयी कि मैं ग्राम गिलानी में आयोजित शिविर में जा रही हूं। आज मैं दिनभर व्यस्त रहूंगी। फिर भी तुम तहसील पिड़ावा पहुंचो तथा मेरा इन्तजार करो। इस पर परिवादी श्री चेन सिंह को उसकी मोटर साईकिल से श्री देवदान सिंह कानि0 को पिछे बैठाकर तहसील पिड़ावा की और रवाना किया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी मय ब्यूरो स्टाफ व स्वतंत्र गवाहान व महिला कानि0 के साथ में ले गये वाहनों में बैठकर रवाना होकर तहसील पिड़ावा के नजदीक पहुंचे। कुछ समय पश्चात् परिवादी श्री चेन सिंह ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आकर बताया कि आरोपिता ग्राम गिलानी में आयोजित शिविर में गयी हुई है। एक बार मैं शिविर में ग्राम गिलानी जाकर ही रिश्वत राशि देने का प्रयास करता हूं। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी के तहसील पिड़ावा से रवाना होकर ग्राम गिलानी में आयोजित शिविर स्थल पर पहुंचे तो ज्ञात हुआ कि आरोपिता कुछ देर पहले ही तहसीलदार पिड़ावा के साथ उसके सरकारी वाहन में बैठकर पिड़ावा के लिए निकल गयी है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुनः ट्रेप पार्टी के ग्राम गिलानी से रवाना होकर सुनेल तिराहा, पिड़ावा पहुंचा तथा पुनः आरोपिता के तहसील पिड़ावा में उपस्थित होने की दशा में ट्रेप कार्यवाही का प्रयास करने के लिए परिवादी श्री चेन सिंह को पुनः रवाना किया गया। कुछ देर पश्चात् परिवादी श्री चेन सिंह व निगरानी हेतु साथ में गये श्री देवदान सिंह कानि0 सुनेल तिराहा, पिड़ावा पहुंचे तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि मुझे आरोपिता संगीता कुमारी जैन कानूनगो तहसील पिड़ावा में उपस्थित मिल गयी थी। परन्तु उसके द्वारा मुझे देखते ही कहा कि चेन सिंह आज यहां पर बहुत भीड़–भाड़ है तुम कल सुबह 11 बजे तहसील पिड़ावा में आकर मुझसे मिलना, अभी जावो। चूकिं आरोपिता ने परिवादी श्री चेन सिंह को कल दिनांक 11.06.2022 को सुबह 11 बजे बुलाया है तथा परिवादी श्री चेन सिंह ने कहा कि मुझे मेरे गांव जाना जरूरी है। अतः सरकारी गवाह श्री रघुवीर सिंह के द्वारा परिवादी श्री चेन सिंह को आरोपिता को रिश्वत में दी जाने हेतु सुपुर्द की गयी रिश्वत राशि 10,000रूपये उसकी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब से निकलवायी जाकर सीधे ही श्री गोपाल लाल हैड कानि0 नं0 26 को सफेद रंग के खाली लिफाफे में रखवाकर मौके पर ही सुपुर्द की गयी तथा परिवादी श्री चेन सिंह से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर उसे भी मौके पर ही श्री गोपाल लाल हैड कानि0 नं0 26 को सुपुर्द कर निर्देश दिये कि ब्यूरो कार्यालय लौटने पर रिश्वत राशि का लिफाफा व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुरक्षित मालखाना रखा जावें। तत्पश्चात् परिवादी श्री चेन सिंह को कल दिनांक 11.06.2022 को सुबह 11 बजे ट्रेप कार्यवाही हेतु सुनेल तिराहा, पिड़ावा पर उपस्थित मिलने तथा अब तक की कार्यवाही के सम्बंध में गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर मौके से ही उसके गांव के लिए रूखसत किया गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पिड़ावा से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पहुंचा। स्वतंत्र गवाहान व महिला कानि0 को कल दिनांक 11.06.2022 को प्रातः 09.30 बजे ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने तथा अब तक कार्यवाही के सम्बंध में गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया गया। श्री गोपाल लाल हैड कानि0 को हिदायत दी गयी कि परिवादी श्री चेन सिंह सुनेल तिराहा, पिड़ावा पर मिलेगा। अतः रिश्वत राशि 10,000रूपये वाला लिफाफा तथा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर एवं हाथ धोवन सामग्री तथा अन्य आवश्यक उपकरण दिनांक 11.06.2022 को ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना होने के समय साथ में लेकर चले। दिनांक 11.06.2022 समय 09.30 एएम पर पूर्व पाबन्द शुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री रघुवीर सिंह कनिष्ठ सहायक एवं श्री मनोज रावल कनिष्ठ सहायक कार्यालय सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मिनि सचिवालय झालावाड़ ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। दिनांक 11.06.2022 समय 09.35 एएम पर पूर्व पाबन्द शुदा श्रीमती अंकिता महिला कानि. नं. 164 पुलिस थाना सदर झालावाड़ ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आयी। दिनांक 11.06.2022 समय 09:40 एएम पर परिवादी श्री चेन सिंह ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये मोबाईल अवगत कराया कि उसने आरोपिता संगीता कुमारी जैन कानूनगो से सम्पर्क किया तो उसने कहा कि मैं अभी बाहर जा रही हूं तथा आज नही मिलूंगी। तुम बार–बार मुझे क्यों फोन कर रहे हो। मैं तुम्हारा काम वैसे ही कर दूंगी। परिवादी श्री चेन सिंह ने यह भी बताया कि आरोपिता संगीता कुमारी जैन को शायद उस पर शक हो गया है। इसलिए वह मोबाईल पर खुलकर बातचीत नही कर रही है तथा मैंने जानकारी की तो अचानक पिड़ावा से कही बाहर चली गयी है। अतः आज ट्रेप कार्यवाही की सम्भावना नही है। [illegible]

ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आने की हिदायत देकर ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया गया। दिनांक 05.07.2022 समय 04:30 पीएम पर दिनांक 06.06.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप के दौरान परिवादी श्री चेन सिंह के साथ गये श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया कि परिवादी श्री चेन सिंह ने मुझे जरिये मोबाईल अवगत करवाया है कि आरोपिता संगीता कुमारी जैन कानूनगो ड्यूटी पर आ गयी है एवं कल दिनांक 06.07.2022 को ट्रेप कार्यवाही हो सकती है। परिवादी ने बताया है कि वह आरोपिता से सम्पर्क कर अवगत कर देगा। अतः आप लोग दोपहर बाद ही आना। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री देवदान सिंह कानि0 को निर्देशित किया कि वह परिवादी श्री चेनसिंह को दिनांक 06.07.2022 को दोपहर बाद सुनेल तिराहा, पिड़ावा पर ही मिलने व मोबाईल पर लगातार सम्पर्क बनाये रखे। दिनांक 05.07.2022 समय 05:00 पीएम पर कल दिनांक 06.07.2022 को दोपहर पश्चात् ट्रेप कार्यवाही की सम्भावना होने के कारण पूर्व में ट्रेप कार्यवाही में पिड़ावा साथ गये सरकारी स्वतंत्र गवाहान श्री रघुवीर सिंह कनिष्ठ सहायक व श्री मनोज रावल कनिष्ठ सहायक को पाबन्द करने हेतु पुनः कार्यालय सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मिनि सचिवालय, झालावाड के नाम कार्यालय पत्रांक 930 दिनांक 05.07.2022 व थानाधिकारी पुलिस थाना सदर झालावाड़ के नाम कार्यालय पत्रांक 929 दिनांक 05.07.2022 जारी कर एक महिला कानि0 को पाबन्द कर कार्यालय में भिजवाने हेतु दोनों पत्र श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 के सुपुर्द कर सम्बंधितो को देने हेतु रवाना किया गया। दिनांक 05.07.2022 समय 06:20 पीएम पर श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया तथा गोपनीय कार्यवाही हेतु कार्यालय सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मिनि सचिवालय झालावाड़ के पूर्व में गोपनीय कार्यवाही में साथ गये श्री रघुवीर सिंह कनिष्ठ सहायक व श्री मनोज रावल कनिष्ठ सहायक को पाबन्द कर प्राप्ति रसीद लेकर तथा थाना सदर झालावाड़ में श्रीमती शीतल पत्नि श्री मनेन्द्र सिंह जाति जाट उम्र 34 वर्ष निवासी नगला नाथू थाना भुसावर जिला भरतपुर हाल महिला कानि0 नं0 15 थाना सदर झालावाड़ मोबाईल नम्बर 8696287542 को पाबन्द कराकर प्राप्ति रसीद लेकर कार्यालय में हाजिर आकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किये। पत्रों का अवलोकन कर शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 06.07.2022 समय 12.05 पीएम पर तलविदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री रघुवीर सिंह कनिष्ठ सहायक व श्री मनोज रावल कनिष्ठ सहायक कार्यालय सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मिनि सचिवालय झालावाड़ ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये तथा उनका कार्यालय पत्रांक 5030 दिनांक 05.07.2022 सुपुर्द किया। जिसका अवलोकन कर शामिल पत्रावली किया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आज की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही के बारे में पुनः समझाया गया। दिनांक 06.07.2022 समय 12.20 पीएम पर थानाधिकारी पुलिस थाना सदर झालावाड़ द्वारा जरिये पत्रांक 2247 दिनांक 06.07.2022 द्वारा पाबन्द शुदा श्रीमती शीतल महिला कानि. नं. 15 पुलिस थाना सदर झालावाड़ ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आयी। जिससे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिचय प्राप्त कर आज की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही से अवगत् करवाया जाकर समस्त जानकारी दी गयी तथा कार्यवाही में शामिल होने बाबत् महिला कानि0 की सहमति प्राप्त की गयी। दिनांक 06.07.2022 समय 01:25 पीएम पर श्री गोपाल लाल हैड कानि0 नं0 26 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश देकर पूर्व में परिवादी द्वारा दी गयी रिश्वत राशि 10,000रूपये रखे लिफाफा जो ब्यूरो कार्यालय के मालखाने में रखी गयी रिश्वत राशि 10,000/-रूपये का लिफाफा व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। ट्रेप कार्यवाही से पूर्व की सम्पूर्ण कार्यवाही होने के पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री रघुवीर सिंह कनिष्ठ सहायक व श्री मनोज रावल कनिष्ठ तथा ब्यूरो स्टाफ के श्री गोपाल लाल हैड कानि. नं. 26, श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि. नं. 97, श्री सूरज मल कानि. नं. 521, श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425, श्री पवन कुमार कानि. 28, श्रीमती शीतल महिला कानि0 नं0 15 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर तथा सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री छोटूलाल नं. 534 के व प्राईवेट वाहन से बजानिब पिड़ावा की और ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। दिनांक 06.07.2022 समय 02:45 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाब्ते के दोनों वाहनो से पूर्व निर्धारित स्थान सुनेल तिराहा, पिड़ावा पहुंचा। जहां पर परिवादी श्री चेन सिंह अपनी मोटरसाईकिल सहित इन्तजार करते हुए उपस्थित मिला। परिवादी का महिला कानि0 श्रीमती शीतल से व स्वतंत्र गवाहान से पुनः परिचय करवाया गया। स्वतंत्र गवाह श्री मनोज रावल से परिवादी श्री चेन सिंह की तलाशी लिवायी गयी उसके पास कोई संदिग्ध वस्तु इत्यादी नहीं रहने दी गयी तथा श्री गोपाल लाल हैड कानि0 से ट्रेप बॉक्स खुलवाकर स्वतंत्र गवाह श्री रघुवीर सिंह से ट्रेप बॉक्स में रखी रिश्वत राशि 10,000रूपये

अभिवादन करें। तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाब्ता व स्वतंत्र गवाहान के सरकारी व प्राईवेट वाहनों से परिवादी श्री चेन सिंह के पिछे-पिछे तहसील पिड़ावा के आस-पास वाहनों को साईड में आड में अपनी उपस्थिति छुपाते हुए तहसील पिड़ावा के नजदीक पहुंचे व ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी के ईशारे की प्रतीक्षा में मुकीम हुए। दिनांक 06.07.2022 समय 06:08 पीएम पर परिवादी श्री चेन सिंह द्वारा तहसील कार्यालय पिड़ावा के चेनल गेट लगे प्रवेश द्वार के बाहर से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को तहसील पिड़ावा के बाहर मुख्य सड़क पर खड़े वाहनों की तरफ देखकर पूर्व निर्धारित ईशारा सिर पर हाथ फिराकर करने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी व स्वतंत्र गवाहान के तहसील पिड़ावा के बाहर मुख्य सड़क से वाहनों से रवाना होकर वाहनों से उतरकर परिवादी श्री चेन सिंह के पास चेनल गेट लगे प्रवेश द्वार पर पहुंचा तथा पूर्व में आरोपिता से रिश्वत लेन-देन के समय वार्तालाप को रिकॉर्ड करने हेतु सुपुर्द शुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर कब्जा ब्यूरो लिया गया तथा परिवादी श्री चेन सिंह से आरोपिता द्वारा रिश्वत राशि मांगने प्राप्त करने तथा रिश्वत राशि रखने वाली जगह के बारे में पूछा गया तो परिवादी ने बताया कि आरोपिता सुश्री संगीता कुमारी जैन अपने भू-अभिलेख शाखा के कक्ष में बैठी है तथा उसने अभी-अभी कुछ देर पहले मुझसे रिश्वत राशि के 10,000रूपये उसके भू-अभिलेख शाखा के कमरा नं0 12 में रखी हुई बीच की टेबल पर रखे हुए लाल रंग के रजिस्टर पर रखने का ईशारा कर मुझे तुरन्त बाहर भेज दिया है। परिवादी श्री चेन सिंह ने बताया कि आरोपिता ने रिश्वत लेन-देन बाबत् कोई वार्तालाप नहीं की है। केवल ईशारों में ही रिश्वत राशि रखने व जाने का संकेत दिया है। परिवादी श्री चेन सिंह ने बताया कि रिश्वत राशि के 10,000रूपये भू-अभिलेख शाखा के कमरा नं0 12 में रखी हुई बीच की टेबल पर रखे हुए लाल रंग के रजिस्टर पर रखवाये गये है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ट्रेप पार्टी व स्वतंत्र गवाहान के चेनल गेट से प्रवेश कर तहसील पिड़ावा में स्थित भू-अभिलेख शाखा के कमरा नम्बर 12 में परिवादी श्री चेन सिंह के पिछे-पिछे पहुंचा तो वहां कमरे के अन्दर प्रवेश करते ही सफेद रंग के सलवार शुट पहने अधेड़ आयु की सांवले से रंग की मजबूत कद काठी की कुर्सी पर बैठी महिला की और ईशारा कर परिवादी श्री चेन सिंह ने बताया कि यही संगीता कुमारी जैन कानूनगो है जिसने अभी-अभी मुझसे रिश्वत राशि के 10,000रूपये भू-अभिलेख शाखा के कमरा नं0 12 में रखी हुई बीच की टेबल पर रखे हुए लाल रंग के रजिस्टर के ऊपर रखने का ईशारा कर रखवाये है तथा उसके पश्चात् तुरन्त मुझे बाहर चले जाने का ईशारा करने पर मैंने बाहर आकर तहसील भवन में प्रवेश के लिए बने हुए चेनल गेट से आपको ईशारा कर दिया था। जिस पर आप अपने वाहनों सहित तहसील कार्यालय परिसर में आने पर मेरे बताये अनुसार चेनल गेट से मेरे पिछे-पिछे भू-अभिलेख शाखा के कमरा नम्बर 12 में मय ट्रेप पार्टी प्रवेश किया है। इस पर आरोपिता को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना व हमराहियान का परिचय दिया तथा यहां आने का प्रयोजन बताया तो वह अत्यन्त घबरा गयी जिसे तसल्ली देकर पानी पिलाकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम संगीता कुमारी पुत्री श्री अमोलकचन्द जाति जैन उम्र 54 वर्ष निवासी शेर मोहल्ला, सेंन्ट्रल स्कूल के पास पिड़ावा तहसील/थाना पिड़ावा जिला झालावाड़ हाल भू-अभिलेख निरीक्षक (रिजर्व) तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ राज0 होना बताया। आरोपिता सुश्री संगीता कुमारी जैन से परिवादी श्री चेन सिंह से अभी अभी उनके कक्ष में रखी हुई बीच की टेबल पर रखे हुए लाल रंग के रजिस्टर पर रखवायी गयी 10,000रूपये की रिश्वत राशि बाबत् पूछा गया कि उसने यह रिश्वत राशि क्यों व किस उद्देश्य से रखवायी है। इस पर आरोपिता सुश्री संगीता कुमारी जैन ने रूबरू गवाहान बताया कि मैं मेरी कुर्सी पर बैठकर कम्प्यूटर पर मासिक नक्शे बमाह जून के बना रही थी। अचानक श्री चेन सिंह मेरे भू-अभिलेख शाखा के कमरा नम्बर 12 में घुसा उस वक्त मैं अकेली ही थी। जैसे ही मेरे सीट के पास आया और मुझे पैसे देने लगा और कहा यह पैसे पकड़ों। जैसे मैं सीट से खड़ी हुई इसने मुझे रिश्वत राशि देने की कोशिश की। इस पर मैंने कहा कि किस बात के पैसे दे रहा है। मैंने वह पैसे नहीं लिये। इस पर श्री चेन सिंह ने जबरदस्ती रजिस्टर के ऊपर रख दिये। इसके अलावा इससे पहले मैंने कभी श्री चेन सिंह से रिश्वत की मांग नहीं की और ना ही पूर्व में कोई रिश्वत राशि प्राप्त की है। इसका परिवादी श्री चेन सिंह ने खण्डन करते हुए बताया कि साहब आरोपिता सुश्री संगीता कुमारी जैन कानूनगो झूंठ बोल रही है। मैंने आज से दो साल पहले ग्राम हनोतिया कोटड़ी में खसरा नम्बर 554 रकबा 8.5 बीघा जमीन खरीदी थी। जिसका सौदा श्री भेरू सिंह ने कराया था। जमीन खरीदने के बाद पता चला कि वह जमीन केवल 5 बीघा ही कब्जे में है। शेष 3.5 बीघा जमीन पर गांव के नारायण सिंह व हड़मत सिंह सोंधियां राजपूतों ने अवैध कब्जा

था। जहां पर आरोपिता ने उससे 10,000रूपये रिश्वत राशि देने के बाद ही मेरी पत्नि के नाम की जमीन की पेमाईश करने की बात कही थी तथा यह भी कहा था कि मुझे पटवारी को भी रूपये देने पड़ेगें। आरोपिता सुश्री संगीता कुमारी जैन कानूनगो ने आज मुझसे शेष रिश्वत राशि के 10,000रूपये उनके भू–अभिलेख कार्यालय कक्ष में रखी हुई बीच वाली टेबल पर रखे हुए लाल रंग के रजिस्टर के ऊपर रखने का ईशारा कर तत्काल बाहर जाने का ईशारा कर दिया था। उन्होने लेन–देन के दौरान मुझसे कोई बातचीत नहीं की थी। इनके द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन के समय रिश्वत राशि मांगे जाने पर ही आज 10,000रूपये रिश्वत राशि के साथ इनका ट्रेप हुआ है। चूंकि आरोपिता सुश्री संगीता कुमारी जैन ने अपने हाथों में रिश्वत राशि नहीं ली है। अतः उसके दोनों हाथों की धुलाई की कार्यवाही नहीं करायी गयी है। फिर गवाह श्री मनोज रावल को भू–अभिलेख शाखा में रखी हुई बीच की टेबल पर रखे हुए लाल रंग के रजिस्टर पर 500–500 रूपये के नोटों की पड़ी हुई नजर आ रही थेई को उठाने के निर्देश दिये जाने पर उनके द्वारा 500–500रूपये रिश्वत राशि के कुल 20 नोट कुल राशि 10,000रूपये होना पाया गया। फिर अन्य गवाह श्री रघुवीर सिंह को फर्द सुपुर्दगी नोट देकर उक्त नोटो के मिलान करने के निर्देश देने पर दोनों गवाहान ने बरामद नोटो के नम्बर फर्द सुपुर्दगी में अंकित नोटो का मिलान कर हूबहू रिश्वत राशि वाले 500–500रूपये के 20 नोट कुल 10,000रूपये बरामद किये गये। बरामद शुदा नोटो के नम्बर निम्न प्रकार हैः–

1	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	4QS 549138
2	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	4HH 421855
3	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0GQ 137042
4	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3EK 222614
5	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1SR 661719
6	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0NA 013379
7	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	2DQ 269440
8	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	4SA 350246
9	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1RC 441966
10	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	6CA 477815
11	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0RB 523448
12	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	9VC 598962
13	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	7DF 679718
14	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3DQ 735996
15	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3DQ 735997
16	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	9FS 799668
17	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	5DM 847799
18	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	2WP 894270
19	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	7EU 956749
20	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	8WP 980423

उक्त बरामद नोटो को कागज में मौके पर ही सील–मोहर चिट कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया। फिर रिश्वत राशि रखे हुए लाल रंग के रजिस्टर के ऊपर के कवर के धोवन हेतु एक कांच के साफ गिलास में सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया गया तो घोल कर रंग अपरिवर्तित रहा। फिर सफेद रंग के कपड़े की चिन्दी को रिश्वत राशि रखे हुए लाल रंग के रजिस्टर के ऊपर के कवर का धोवन लेकर घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो साफ कांच की शिशियों मे आधा–आधा भरकर मौके पर ही सील–मोहर चिट कर मार्का आर–1, आर–2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। सफेद रंग की चिन्दी को पंखे की हवा में सुखोकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कपड़े की थेली में रखकर सील चिट करवाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। रिश्वत राशि रखे हुए लाल रंग के डिस्पेच रजिस्टर को बतौर वजह

तलाशी श्रीमती शीतल महिला कानि0 नं0 15 पुलिस थाना सदर झालावाड़ से लिवायी जाकर रूबरू गवाहन श्री रघुवीर सिंह एवं श्री मनोज रावल के समक्ष जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी के, गिरफ्तार किया गया। आरोपिता सुश्री संगीता कुमारी जैन की गिरफ्तारी की. सूचना आरोपिता के कहे अनुसार श्री चौथमल मेघवाल रीडर तहसीलदार तहसील पिड़ावा को दी गयी। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 06.07.2022 समय 09:30 पीएम पर आरोपिता सुश्री संगीता कुमारी पुत्री श्री अमोलकचन्द जाति जैन उम्र 54 वर्ष निवासी शेर मोहल्ला, सेंन्ट्रल स्कूल के पास पिड़ावा तहसील/थाना पिड़ावा जिला झालावाड़ हाल भू-अभिलेख निरीक्षक (रिजर्व) तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ राज0 को दोनों स्वतंत्र गवाहन श्री रघुवीर सिंह एवं श्री मनोज रावल के समक्ष, दिनांक 06.06.2022 को परिवादी श्री चेन सिंह द्वारा कार्यालय तहसील पिड़ावा में रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता परिवादी द्वारा उसको सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था, उसका एफएसएल से परीक्षण करवाने हेतु नमूना आवाज जरिये फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस दिया गया तो आरोपिया सुश्री संगीता कुमारी जैन ने फर्द पर ही स्वंय के हस्तलेख में लिखकर दिया कि " मैं अपनी आवाज का परीक्षण नहीं कराना चाहती हूँ।" अंकित कर हस्ताक्षर किये। फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 06.07.2022 समय 09:45 पीएम पर आरोपिता सुश्री संगीता कुमारी जैन द्वारा पूर्व में भी अन्य लोगों से रिश्वत राशि प्राप्त कर अपने भू-अभिलेख कार्यालय कक्ष नम्बर-12 में रखी हुई अलमारियों एवं टेबलों की दराज में रखने की सम्भावना है। अतः गहनता से कक्ष की तलाशी लिया जाना आवश्यक है। इस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाब्ते से कार्यालय तहसील पिड़ावा में स्थित कमरा नम्बर 12 भू-अभिलेख शाखा परिसर आरोपिता सुश्री संगीता कुमारी जैन के बैठने के स्थान के आस-पास की अलमारी व टेबलों की दराजों की तलाशी लिवायी गयी। कोई संदिग्ध राशि बरामद नहीं हुई। ना ही कोई वस्तु इत्यादी जब्त की गयी। उक्त कार्यवाही की फर्द खाना तलाशी मुर्तिब कर फर्द पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 06.07.2022 समय 10:00 पीएम पर सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही के पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी श्री चेन सिंह, दोनों स्वतंत्र गवाहान, महिला कानि0 व जाब्ता तथा गिरफ्तार शुदा आरोपिता सुश्री संगीता कुमारी जैन को साथ लेकर मय ट्रेप बॉक्स व जब्त शुदा आर्टिकल्स, रिश्वत राशि 10,000रूपये तथा धोवन के सेम्पल आर-1, आर-2, कपड़े की चिन्दी का पैकेट व जब्त शुदा डिस्पेच रजिस्टर मय सरकारी वाहन व प्राईवेट वाहन से एसीबी कार्यालय झालावाड़ के लिए रवाना हुआ। दिनांक 06.07.2022 समय 11:20 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान दोनों स्वतन्त्र गवाहान, महिला कानि0, परिवादी, गिरफ्तारशुदा आरोपिता सुश्री संगीता कुमारी जैन एवं ब्यूरो स्टाफ के साथ लाये वाहनों से ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पहुँचा। मौके से जब्त शुदा व बरामद शुदा माल बतौर वजह सबूत, रिश्वत राशि तथा धोवन के सैम्पल इत्यादि श्री गोपाल लाल मुख्य आरक्षक नं. 26 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इंद्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना रखवाये गये। दिनांक 06.07.2022 समय 11:25 पीएम दिनांक 06.06.2022 को आरोपिता सुश्री संगीता कुमारी जैन कानूनगो व परिवादी श्री चेन सिंह के मध्य रिश्वत की मांग से संबंधित वार्ता हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 10.06.2022 को समय 09.20 एएम पर तैयार की गई थी। उक्त वार्ता को कार्यालय कम्प्यूटर में सेव किया गया था। उक्त वार्ता की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 के द्वारा जरिये कम्प्यूटर चार सीडी डब करवाई गई, जिसमें एक सीडी आरोपिता सुश्री संगीता कुमारी जैन के लिये, एक सीडी नमूना आवाज हेतु तथा एक सीडी माननीय न्यायालय हेतु कपड़े की थेली में रखकर सील मोहर की गई तथा एक सीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु खुली रखी गई। जिसकी फर्द डबिंग सीडी तैयार करवाकर सीडी व फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 06.07.2022 समय 11:35 पीएम पर कार्यालय में महिला हवालात की व्यवस्था नहीं होने के कारण गिरफ्तार आरोपिता सुश्री संगीता कुमारी जैन को वास्ते सुरक्षा की दृष्टि से महिला थाना झालावाड़ की हवालात में बंद करवाने हेतु तहरीर देकर बाद जरिये श्री मोहम्मद आफाक मुख्य आरक्षक नं. 97 व श्रीमती शीतल महिला कानि0 नं0 15 के साथ सरकारी बोलेरो वाहन से भिजवाया गया तथा परिवादी श्री चेन सिंह एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री रघुवीर सिंह व श्री मनोज रावल को सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात् रूखसत किया गया। दिनांक 06.07.2022 समय 11:55 पीएम पर आरोपिता सुश्री संगीता कुमारी जैन को वास्ते सुरक्षा की दृष्टि से महिला थाना झालावाड़ की हवालात में बन्द करवाकर श्री मोहम्मद आफाक मुख्य आरक्षक नं. 97 व श्रीमती शीतल महिला कानि0 नं0 15 कार्यालय में

तथा बाकी जमीन पर उस गांव के श्री नारायण सिंह व श्री हड़मत सिंह सोधिंया राजपूतों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। आज से 10-15 दिन पूर्व मैं तहसील पिड़ावा में जाकर संगीता कुमारी जैन कानूनगो से मेरी पत्नि के नाम से खरीदी गयी जमीन की पेमाईश कराने के सम्बंध में मिला तो उन्होने कहां कि जमीन की पेमाईश करवा देगें। तुम्हें खर्चा पानी के 15,000रूपये देने पड़ेगें। उसके बाद संगीता कुमारी जैन कानूनगो ने ग्राम हनोतिया कोटड़ी (ग्राम पंचायत रमाय दलपत) में मेरी पत्नि श्रीमती धर्म कुवंर के नाम से खरीदी गयी खसरा नम्बर 554 की 8.50 बीघा जमीन की पटवारी श्री अखिल व श्री राकेश को लेकर स्वंय मौके पर जाकर पेमाईश की थी तथा पेमाईश के दिन ही मुझसे पेमाईश करने से पहले तहसील में ही 5,000रूपये खर्चा पानी के श्री भेरूसिंह के मार्फत ले लिये थे। जो मैंने उसी दिन मजबूरी में श्री भेरूसिंह को संगीता कुमारी जैन कानूनगो को देने के लिए दे दिये थे। परन्तु पेमाईश करवाने के बाद संगीता कुमारी जैन कानूनगो शेष रिश्वत राशि 10,000रूपये देने के लिए मुझे परेशान कर रही है तथा कह रही है कि मुझे पेमाईश करने वाले पटवारी को भी खर्चे पानी के रूपये देने पड़ेगें। मैं मेरे जायज काम के लिए संगीता कुमारी जैन कानूनगो तहसील पिड़ावा को शेष रिश्वत राशि के 10,000रूपये नहीं देना चाहता हूं तथा उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरी संगीता कुमारी जैन कानूनगो से कोई पुरानी रंजिश अथवा उधारी का कोई लेनदेन बकाया नहीं है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 7 की परिधि में पाये जाने पर उसी दिन रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये तथ्यों की पुष्टि हुई। इस पर परिवादी द्वारा रिश्वत राशि 10,000रूपये की व्यवस्था कर दिनांक 10.06.2022 को कार्यालय में उपस्थित आने पर ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। परिवादी श्री चेन सिंह मय ट्रेप पार्टी पिड़ावा पहुंचकर परिवादी को आरोपिता सुश्री संगीता कुमारी जैन काननूगो के पास भिजवाया तो आरोपिता सुश्री संगीता कुमारी जैन पेमाईश के शिविरों में व्यस्त होने के कारण आरोपिता ने परिवादी से कहा कि आज भिड़ भाड़ बहुत है तुम कल आ जाना तुम अभी जावों। इस पर ट्रेप कार्यवाही नहीं हो सकी। दिनांक 11.06.2022 को परिवादी ने जरिये मोबाईल अवगत कराया कि आरोपिता संगीता कुमारी जैन को मेरे ऊपर शक है इसलिए अचानक पिड़ावा से कही बाहर चली गयी है। आयन्दा आरोपिता द्वारा रिश्वत राशि के सम्बंध में मुझसे सम्पर्क करने पर मैं आपको सूचित कर दूंगा। दिनांक 05.07.2022 को परिवादी द्वारा कार्यालय में सूचित किया गया कि आरोपिता सुश्री संगीता कुमारी जैन तहसील कार्यालय, पिड़ावा में ड्यूटी पर आ गयी है। मैं कल दिनांक 06.07.2022 को उससे मेरे काम के बारे में बात करने जाऊंगा। आप मेरे द्वारा पूर्व में आपके कार्यालय में रखी गयी रिश्वत राशि 10,000रूपये लेकर पिड़ावा आ जाओ। इस पर दिनांक 06.07.2022 को ट्रेप कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। पिड़ावा में सुनेलं तिराहा पहुंचकर परिवादी श्री चेन सिंह के वहां पर अपनी मोटरसाईकिल सहित ट्रेप पार्टी का इन्तजार करते हुए उपस्थित मिलने पर आरोपिता को दी जाने वाली रिश्वत राशि के 10,000रूपये व रिश्वत लेन-देन वार्तालाप के दौरान होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिए डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चैक कर पुनः चालू बन्द करने की विधिवत् प्रक्रिया के बारे में समझाईस कर परिवादी को सुपुर्द कर आरोपिता सुश्री संगीता कुमारी जैन के पास तहसील पिड़ावा में भिजवाया गया। परिवादी श्री चेन सिंह द्वारा रिश्वत राशि प्राप्ति का ईशारा करने पर परिवादी के बताये अनुसार आरोपिता द्वारा भू-अभिलेख कार्यालय कमरा नं0 12 में रखी हुई टेबल के ऊपर रखे हुए लाल रंग के डिस्पेच रजिस्टर के ऊपर से रिश्वत राशि के 10,000रूपये बरामद किये गये। रजिस्टर का धोवन लिया गया। जिसका धोवन हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। आरोपिता के उक्त कृत्य पर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। आरोपिता को नमूना आवाज का नोटिस दिया गया। आरोपिता का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 पी.सी. एक्ट संशोधित 2018 अपराध की श्रेणी में आता है।

अतः आरोपिता सुश्री संगीता कुमारी पुत्री श्री अमोलकचन्द जाति जैन उम्र 54 वर्ष निवासी (चोधरियान) शेर मोहल्ला, सेंन्ट्रल स्कूल के पास पिड़ावा तहसील/थाना पिड़ावा जिला झालावाड़ हाल भू-अभिलेख निरीक्षक (रिजर्वे) तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ के विरूद्ध जुर्म अंतर्गत धारा 7 पी.सी. एक्ट संशोधित 2018 का अपराध घटित पाये जाने पर उपरोक्त आरोपिता के विरूद्ध उक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक सी0पी0एस0 भ्रनिब्यूरो जयपुर प्रेषित की जावेगी।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भवानी शंकर मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपिया सुश्री संगीता कुमारी जैन, भू-अभिलेख निरीक्षक (रिजर्व), तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 274/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

7.7.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 2402-06 दिनांक 7.7.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, झालावाड़।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़।

7.7.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।